भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2784

11 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

स्वर्ण भंडार

2784. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री बैन्नी बेहननः

श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में अनुमानित मौजूदा स्वर्ण भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश भूविज्ञान और खनन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हाल ही में दो सोने की खानों की खोज की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्रों में सोने के भंडार की अनुमानित मात्रा क्या है;

(घ) इस क्षेत्र में स्वर्ण निकालने का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार/राज्य सरकार ने देश में कुछ सोने की खदानों को बंद कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सामान्य रूप से देश में सोने की खोज की राज्य-वार स्थिति क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री</u>

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (छ) : दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय खनिज सूची के मुताबिक स्वर्ण अयस्क भंडार 1,72,28,174 टन था।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और उत्तर प्रदेश भूविज्ञान और खनन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किसी सोने की खान की खोज नहीं की है। तथापि, जीएसआई ने उप ब्लॉक-एच, सोना पहाड़ी क्षेत्र, सोनभद्र जिले में 3.03 ग्राम/टन के औसत ग्रेड वाले

52,806.25 टन के स्वर्ण अयस्क संसाधन का अनुमान लगाया है। डीजीएम-उत्तर प्रदेश ने हर्दी क्षेत्र (पूर्वी ब्लॉक) सोनभद्र जिले में 0.30 ग्राम/टन के औसत ग्रेड वाले 21,53,000 टन के स्वर्ण अयस्क संसाधन अनुमान लगाया है।

प्रमुख खनिजों हेतु खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी के माध्यम से खनिज रियायत दी जा सकती है। राज्य सरकारों को इन खनिज रियायत के अनुदान की शक्ति प्रदान की गई है।

खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बीजीएमएल) को इसकी निवल संपत्ति ऋणात्मक हो जाने पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना (बीआईएफआर) बोर्ड के पास भेजा गया। इसका प्रचालन आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया तब बीआईएफआर ने अपने दिनांक 12.06.2000 के आदेश के तहत बीजीएमएल को बंद करने के आदेश दिए। बीजीएमएल का परिचालन दिनांक 01.03.2001 से बंद हो गया।

वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्य सत्र कार्यक्रम के भाग के रूप में, जीएसआई ने 31 स्वर्ण गवेषण परियोजनाएं अर्थात् अरूणाचल प्रदेश (1) बिहार (1), छत्तीसगढ़ (2), मध्य प्रदेश (1), झारखंड (7), ओडिसा (3) तेलंगाना (2), कर्नाटक (7), तमिलनाडु (1), राजस्थान (4), पश्चिम बंगाल (1) तथा उत्तर प्रदेश (1) में शुरू की हैं।

*****